

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाड़ जिला टोंक

( जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाड़ द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :-176 / 2018

निर्णय दिनांक:-24.06.2019

उनवान

किशनलाल बनाम हनुमान वगे.

प्रार्थना पत्र तहत दफा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट  
बाबत् किये जाने पत्थरगढी

उपरिथत:- श्री रमेश कुमा शर्मा वकील प्रार्थी  
श्री कौशल किशोर जाट वकील प्रतिपक्षीगण 1ता4

निर्णय

पत्रावली बाबत् पत्थरगढी आराजी ख0नं0 20 रकबा 08-19 बीघा वाके ग्राम रजवास तह0 निवाड़ पेश हुयी। प्रा.पत्र स्वीकार किये जाने हेतु उभयपक्षों ने सहमति जाहिर की। न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 128 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार निवाड़ को 500 रुपये मौका कमिश्नर फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वादग्रस्त आराजी ख0नं0 20 रकबा 08-19 बीघा वाके ग्राम रजवास तह0 निवाड़ का नियमानुसार सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाने की सुनिश्चितता करें। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

जे पी बैरवा  
उपखण्ड अधिकारी  
(आर.ए.एस.)  
निवाड़

उपखण्ड अधिकारी निवाड़